संख्या-01/2016/1801 ई-2/तेरह-2015-82/2006

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 18 जनवरी,2016

विषय:-मे0 डालमिया चीनी मिल्स यूनिट आसवनी, जवाहरपुर, सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 80 के0एल0 प्रतिदिन से बढाकर 120 के0एल0 प्रतिदिन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-69/दो-प्रा0डी0-107, दिनांक 06 अगस्त,2015 तथा पूर्ववर्ती पत्र संख्या-जी0-01/दो-प्रा0डी0-107, दिनांक 09 अप्रैल,2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मे0 डालमिया चीनी मिल्स यूनिट आसवनी, जवाहरपुर, सीतापुर की अधिष्ठापित क्षमता 80 के0एल0 प्रतिदिन से बढाकर 120 के0एल0 प्रतिदिन अर्थात् 240 लाख लीटर से बढाकार 360 लाख लीटर वार्षिक किये जाने तथा उक्त के अधीन 40 के0एल0 प्रतिदिन का वाश टू ई0एन0ए0 प्लान्ट एवं 40 के0एल0 प्रतिदिन क्षमता का अब्सोल्यूट अल्कोहल प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा क्षमता विस्तार हेतु श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र/राज्य सरकार की सुसंगत विधियों एवं स्थानीय विधियों में अद्यतन विहित एवं प्रवर्तित नियमों/व्यवस्था/प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय|

(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in